न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी– राजीव बडगूजर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
85 / 2024	24.05.2024	10.06.2024

अनवान

1. जगदीशचन्द्र पुत्र बंशीलाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. कमलाबाई पुत्री भैरूलाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
3. कस्तुरीबाई पत्नी स्व0 भैरूलाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
4. गीताबाई पत्नी बंशीलाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
5. धापूबाई पुत्री भैरूलाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
6. मांगीलाल पुत्र बंशीलाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
7. राधाबाई पुत्री बंशीलाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

प्रार्थीगण

बनाम

1. कमलाबाई पुत्री लेहरूलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. कस्तुरी बाई पत्नी भगवान जाति जाट आयु वयस्क निवासी मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
3. कैदारमल पुत्र धुलीराम मंडोवरा जाति महाजन आयु वयस्क निवासी मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
4. देवीलाल पुत्र धुलीराम मंडोवरा जाति महाजन आयु वयस्क निवासी मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
5. मुकेश पुत्र तुलसीराम मंडोवरा जाति महाजन आयु वयस्क निवासी मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
6. हरीश पुत्र तुलसीराम मंडोवरा जाति महाजन आयु वयस्क निवासी मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
7. सेजराम पुत्र जीतु जाति जाट आयु वयस्क निवासी मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

अप्रार्थीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Badgujar
Date: 2024.09.04 11:49:04 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थितिः– अधिवक्ता श्री सुरेश चन्द्र शर्मा प्रार्थीगण
एक तरफा अप्रार्थीगण

—:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम::—

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा मुंगाना पटवार हल्का मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074—2077 के खाता संख्या 491 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 2331, 2333, 2334, 2335 कुल किता 4 कुल रकबा 2.51 हैक्ट0 कृषि भूमि प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है, और अप्रार्थीगण आराजियात जैर—बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा—चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। आज दिनांक 10.06.2024 को अप्रार्थी सं0 1 से 7 के बाजवूद सूचना के हाजिर नहीं आने से उक्त अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र को एक तरफा सुना गया। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहते है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर—बहस की नपती करा पत्थरगढी कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम मे प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार सह काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार कपासन को पत्थरगढी कराने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार कपासन को आदेश दिया जाता है कि मौजा मुंगाना पटवार हल्का मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074—2077 के खाता संख्या 491 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 2331, 2333, 2334, 2335 कुल किता 4 कुल रकबा 2.51 हैक्ट0 कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर पत्थरगढी किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार कपासन को 1000/— रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत [illegible] रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमि[illegible] प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार कपासन को तहरीर ज[illegible]

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की ज[illegible]वाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 10.06.2024 को खुले न्यायालय में [illegible]या गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Badgujar
Date: 2024.09.04 11:49:04 IST
Reason: SelfAttested

(राजीव बडगूजर)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official